सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला–अजमेर
पीठासीन अधिकारी – श्री सुरेश चौधरी (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील संख्या 01/2018

श्रीमती सुनीता बानो पत्नि श्री सुलेमान आयु 25 साल जाति मेहरात निवासी बायला तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0 बहैसियत स्वयं व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व. सुलेमान पुत्र भंवरू जाति मेहरात निवासी बायला तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0

.....अपीलार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार ब्यावर
2. सरपंच, ग्राम पांयत मालपुरा तहसील ब्यावर

.....प्रत्यर्थीगण

अपील ज्ञापन अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम जिसके द्वारा ग्राम पंचायत मालपुरा ने नामान्तरकरण संख्या 580 दिनांक 10–08–2018 जिसके द्वारा बिना अपीलार्थिया को सूचित किये व उसे बिना सुने, अपीलार्थिया पूर्व सैनिक स्व. सुलेमान पुत्र भंवरू जाति मेहरात की पत्नि व एकमात्र उत्तराधिकारी होने के बावजूद अपनी मनमर्जी से गलत व मनमाने आधर पर दिनांक 10.08.2017 को नामान्तरकरण खारिज कर दिया।

निर्णय

दिनांक : 29.10.2018

अपीलार्थिया श्रीमती सुनीता बानो ने एक प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि उसे नामान्तकरण संख्या 580 दिनांक 10.08.17 के विरूद्ध एक अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश की है जो स्वीकार किये जाने योग्य है। उक्त नामान्तरकरण बाबत् अपीलार्थिया को दिनांक 08–03–2018 को जानकारी होते ही इसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त कर यह अपील पेश की जा रही है । अतः जानकारी दिवस से अपीलार्थी की अपील अन्दर मयाद है इसलिए अपील पेश करने में जानकारी के अभाव में हुई देरी क्षमा योग्य है । न्यायहित में आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुति में उपरोक्त कारणों से हुए विलम्ब को क्षमा किया जावे एवं अपील गुणावगुण पर ही सुनी जाकर निर्णित करने की अनुकम्पा करें।

विद्वान वकील अपीलार्थिया को सुना गया । जानकारी के अभाव में अपील मयाद अवधि में पेश नहीं की जा सकी जो कारण सद्भाविक प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में अवधि की छूट दिया जाना न्यायोचित है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है और अपील पर निम्नानुसार विवेचन किया जाकर न्यायनिर्णय पारित किया जाता है ।

अपील में सारांशतः कथन किए हैं कि ग्राम बायला भू अभिलेख निरीक्षक नरबदखेड़ा पटवार हल्का मालपुरा तहसील ब्यावर में विद्यमान आराजियात खसरा संख्या 992 रकबा 01–11–00 किस्म आबी 1 अपीलार्थिया के पति सुलेमान पुत्र भंवरू जाति मेहरात निवासी बायला की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी चली आ रही थी। उपरोक्त वर्णित आराजी में अपीलार्थिया के पति सुलेमान पुत्र भंवरू के अलावा श्रीमती रोशनी पत्नि भंवरूजी, श्री अल्लादीन, श्री अजीज, सकीना, हंजा पिसरान पुत्रियां भंवरू भी सहखातेदार काश्तकार चले आ रहे हैं। इनके अलावा भी सहखातेदार काश्तकार और भी है। अपीलार्थिया के पति सुलेमान पुत्र भंवरू का स्वर्गवास दिनांक 20.11.2016 को हो गया एवं सुलेमान पुत्र भंवरू जाति मेहरात के वारिसान व कानूनी प्रतिनिधि एकमात्र अपीलार्थिया ही है व सुलेमान पुत्र भंवरू की मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त आराजी पर अपीलार्थिया का ही कब्जा काश्त बिना किसी बाधा व रूकावट के निरन्तर चला आ रहा है। अपीलार्थिया ने प्रत्यर्थी सख्या – 2 के कार्यालय के यहां उक्त सुलेमान पुत्र भंवरू का मृत्यु प्रमाण पत्र व

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

सिजरा प्रमाण पत्र. व अन्य दस्तावेज आदि प्रस्तुत कर विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम खोलने की गुहार की तथा हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण भरकर दिनांक 11.07.2017 को गिरदावर व पटवारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण खोलने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष पेश किया किन्तु सरपंच प्रत्यर्थी संख्या 2 ने बिना किसी औचित्य व आधार के नामान्तरकरण मनमाने रूप से खारिज़ कर दिया। उपरोक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 580 की जानकारी अपीलार्थिया को दिनांक 12.03.2018 को प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण प्राप्त होने पर ही हुई, इससे पूर्व उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी प्रश्नगत नामान्तकरण की की नहीं थी व नही हो सकती थी व अपीलार्थिया विधवा ग्रामीण परिवेश की अकेली महिला होने के कारण व कानून की जानकारी न होने के कारण विलम्ब हुआ है जो सद्भाविक है जिसे क्षमा किया जाना न्यायसंगत है, उपरोक्त परिस्थितियों में कानून मयाद की धारा 5 के तहत देरी माफ की जावे। प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 580 को खारिज करने का आदेश न केवल मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के सन्तुलन के सर्वथा विपरीत है, वरन विधिक प्रावधनों, न्यायिक दृष्टांतो के भी प्रतिकूल है, अतएव निरस्त किया जाना प्रश्नगत नामान्तकरण सरसरी तौर पर ही निरस्तनीय है। अतः निवेदन है कि अपीलार्थिया की अपील सव्यय स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 580 दिनांक 10.08.2017 निरस्त किया जावे साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 1 को आदेश प्रदान किया जावे कि वे मृतक श्री सुलेमान के स्थान पर अपीलार्थिया के नाम नामान्तकरण खोलें व राजस्व अभिलेखों में आवश्यक अमल दरामद करावें। प्रत्यर्थी संख्या 2 से प्रश्नगत नामान्तकरण का रेकार्ड तलब किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर प्रत्यर्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार ब्यावर उपस्थित हुए। प्रत्यर्थी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामीली व जानकारी के अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में अधिवक्ता अपीलार्थिया व पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार ब्यावर की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थिया के कथन कमोबेश उनके अपील अनुसार ही रहे। पेरोकार सरकार ने मौखिक कथन किए कि अपील स्वीकार की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि ग्राम बायला पटवार हल्का मालपुरा भू अभिलेख निरीक्षक नरबदखेड़ा की जमाबन्दी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 6 में अंकित खसरा संख्या 992 रकबा 01–11–00 किस्म आबी 1 में अन्य सहखातेदारान के साथ सुलेमा पि. भंवरू दर्ज है। नामान्तरकरण रजिस्टर के क्रमांक 580 को दिनांक 11.07.2017 को पटवारी हल्का मालपुरा ने नामान्तरकरण प्रस्तुत किया जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक नरबदखेड़ा ने दिनांक 13.07.2017 को तस्दीक किया गया है जिसके बाद सरपंच ग्राम पंचायत मालपुरा ने कोरम क्र.सं. 3 दिनांक 10.08.2017 के द्वारा उक्त नामान्तरकरण को खारिज़ किया जाना दर्ज है। ग्राम पंचायत मालपुरा के प्रस्ताव संख्या 3 की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें सुलेमान पुत्र भंवरू की मृत्यु होना अंकित किया गया है परन्तु इसके वारिसान के सन्दर्भ में स्पष्ट जानकारी ग्रामीणों से पूछताछ व वार्डपंच द्वारा भी जानकारी नहीं उपलब्ध कराए जाने से इस नामान्तरकरण को खारिज

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

किया जाना अंकित है। ग्राम पंचायत मालपुरा द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 20.01.2017 की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें सुलेमान खान पुत्र स्व. भंवरूखान के वारिसान का सजरा अंकित है एवं अपीलार्थिया एकमात्र वारिस होना अंकित है। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें अपीलार्थिया सुनीता बानो पुत्र भीमा का विवाह सुलेमान खान पुत्र भंवरू खान के साथ होने बाबत् प्रस्तुत किया है। अपीलार्थिया सुनीता बानो के मूल निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की है। विकास अधिकारी पंचायत समिति जवाजा के पत्रक्रमांक/ग्राप/एनओसी/2017/636 दिनांक 09.01.2015 को जारी अदेय प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

पत्रावली एवं दस्तावेजात के अवलोकन एवं विवेचन के आधार पर अपीलार्थिया श्रीमती सुनीता बानो, श्री सुलेमान की पत्नि है जिस पर दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर कोई संशय नहीं है। चूंकि सरपंच ग्राम पंचायत मालपुरा ने अपने कोरम प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 10.08.2017 में ग्रामीणों से पूछताछ एवं वार्डपंच से पूछताछ करने के कथन अंकित किये हैं जिसमें वारिसान की स्पष्ट जानकारी नहीं होने के कथन किए हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थिया आंशिक स्वीकार की जाती है एवं तथा नामान्तरकरण संख्या 580 दिनांक 10–08–2017 पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश खारिज किये जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार ब्यावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थीगण को सुनकर एवं विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर